

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

// शुद्धि-पत्र //

भोपाल, दिनांक / 10 / 2021

पंजी क्रमांक. 3298/21-ब(दो)/2021, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2021 को जारी किए गए आदेश क्रमांक फा0क्र0 2681/21-ब(दो)/2021 के प्रथम पैरा में त्रुटिवश मुद्रित शब्दों "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) एवं इसी पत्र के पृष्ठांकन में क्र0 7 में अशुद्ध मुद्रित शब्द (ईदगाह हिल्स) के स्थान पर शब्द (आइडियल हिल्स)" पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अरूण कुमार सिंह (सीनि))

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा0 क्रमांक 3298/21-ब(दो),
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 12/10/2021

1. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर उनके यू.ओ. क्र 201/1019/2021/1/3 दिनांक 26.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ,
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर मंत्रि परिषद आदेश आयटम क्र. 4 दिनांक 03.08.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ,
5. लेखाधिकारी/टी.एम. कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम लेखा भवन, झांसी रोड, म0प्र0 ग्वालियर,
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. श्री पंकज गौड, सेवानिवृत्त, जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) A4, FF 1&2 आइडियल हिल्स, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर मध्यप्रदेश,
8. कोषालय अधिकारी, जबलपुर (म.प्र.),
9. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
- ✓ 10. आई.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बावत।

की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ. वैभव विकास शर्मा)

अति. सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग